

24.06.2025

पत्रावली पेश हुई। वादीगण एवं वादीगण के वकील उपस्थित नहीं। पत्रावली का अवलोकन किया गया, पत्रावली लगभग काफी समय से तलबी हेतु विचाराधीन है, वादीगण द्वारा ना तो तलबी का स्टेप लिया है, और ना ही आज दिनांक उपस्थित आये है। उनका यह कृत्य वाद को चलाये रखने में उनकी रुचि ना होना दर्शाता है। किसी भी वाद की विधिक प्रक्रियाओं की पूर्ति एवं वाद को सिद्ध करने का उत्तरदायित्व वादीगण का होता है।

अतः दावा वादीगण आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के प्रावधानों के अन्तर्गत अदम तकमील/नॉट कम्प्लायंस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।

समवर्णजाधिकारी पदेन
सहायक क्लर्क मुख्यालय
धौलपुर (राज०)